संस्था का ज्ञापन

(1) संस्था का नाम : .....
: .....

(2) पता
संस्था का पंजीकृत गॉव / शहर : .....
: .....
: .....

डाकघर : .....
मण्डल / तालुका : .....
राज्य : .....

(पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना खादी और ग्रामोद्योग आयोग के साथ संस्था के पंजीकरण अधिकारी को परिवर्तन के 15 दिन के भीतर दी जाएगी।

(3) कार्य – क्षेत्र : जिले का तालुका / प्रखण्ड / मंडल संस्था का कार्य क्षेत्र होगा।

(4) पर्व : संस्था का वित्तिय वर्ष परवर्ती वर्ष अप्रेल से 31 मार्च होगा।

(5) उददेश्य
जिस उददेश्य के लिए संस्था की स्थापना की गयी है वह निम्न प्रकार होगा :

(क) संस्था के कार्यक्षेत्र में ग्रामीणों के आर्थिक, नैतिक और सामाजिक स्तर को सुधारना होगा ।

(ख) गरीबी कम करने तथा ग्रामवासियों में बेहतर जीवन स्तर, आपसी सहयोग एवं एकता लाना और सामान्यतया खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन द्वारा ग्रामीण विकास करना।

(ग) खादी और ग्रामोद्योगी कार्यकमों के कियान्वयन हेतु :–
आनुषंगिक / प्रासंगिक गतिविधियों को प्रारंभ करना, प्रोत्साहन देना तथा सहायता करना।

(घ) उपर्युक्त समस्त अथवा किसी एक उददेश्य की पूर्ति, हेतु संस्था को अधिकार होगा कि

(1) किसी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, बैक अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा खादी और ग्रामोद्योग आयोग और / अथवा राज्य मण्डल और अथवा संस्था और / अथवा संघ / राज्य सरकार से चंदा, दान, अनुदान, वसीयत और धरोहरों की याचना, प्राप्त अथवा स्वीकार करना।

(2) संस्था द्वारा अपने सभी अथवा किन्दी उददेश्यों को अग्रसर करने के लिए किसी भी भूमि भवन सुखाचारों (भोगाधिकारियों) तथा चल और / अथवा अचल सम्पत्ति और किसी सम्पदा अथवा हित को दान, कय, विनिमय, किराये के पटटे द्वारा अथवा अन्यथा किसी भी तरह से अर्जित करना।

3) मकानों, संरचनाओं अथवा भवनों का बनाना, निर्माण तथा रख–रखाव तथा विद्यमान भवन सहित उसमें हेर–फेर, विस्तार, सुधार, मरम्मत, परिवर्धन अथवा किंचित परिवर्तन एवं उसमें प्रकाश, पानी, नाली, फर्नीचरों, जुडनारों, यंत्रों, उपकरणों साथियों से सुसज्जित और/अथवा प्रत्येक भवन जिसका निर्माण किया जाना है या धारित है, उपयोग के लिए अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना।

4) संस्था से संबधित जो भी परिसम्पत्तियॉ (चल, अचल) है, का विक्रय, प्रबंध, हस्तांतरण, विनिमय, बंधक, डिमाइस (मरणोपरांत वसीयत द्वारा हस्तांतरण) पटटा अथवा किराये पर देना, निपटान अथवा सम्पत्ति के विषय में अन्यथा सव्यवहार करना।

5) संस्था से संबधित सभी अथवा किसी चल या अचल परिसम्पत्तियों पर जमानत रहित/या सहित अथवा बंधक, प्रभार, भाराकाति या गिरवी की जमानत पर अथवा किसी अन्य तरीके से रूपये उधार लेना तथा प्राप्त करना।

6) संस्था के उददेश्यों को अग्रसार करने के लिए बैंक/बैक खाता/खाते खोलना तथा लेनदने अथवा जैसी भी आवश्यकता हो, बैंक/बैकों के साथ किसी भी तरीके से संव्यवहार करना।

7) संस्था की सभी अथवा किन्ही उददेश्यों के अग्रसार करने के लिए शाखाऍ खोलना एवं संचालन करना और ऐसी अन्य गतिविधियों का उत्तरदायित्व उठाना।

(ड.) संस्था की किसी गतिविधियों की उपलब्धि के लिए प्रासंगिक अथवा संचालन/नेतृत्व संबधी सभी अन्य कानून सम्मत कार्य करना तथा उसके लिए आवश्यक खर्च करना।

(च) संस्था के लाभ का उपयोग संस्था के लक्ष्यों को पूरा करने में किया जायेगा और उनके सदस्यों में नही बांटा जायेगा।

7. संस्था के कार्यो के संचालन के लिए प्रथम प्रबंध समिति निम्न व्यक्तियों से गठित की जाएगी :–

क.स.	नाम	पदनाम	पेंशन तथा पता (संस्था के बाहर
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

(8) हम विभिन्न व्यक्ति जिनके हस्ताक्षर (संस्था का नाम)
नामक संस्था के गठन के लिए नीचे दिये गये है, इस ज्ञापन के अनुसार 1860 सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम **XXI** के अधीन संस्था के पंजीयन के लिए इच्छुक है।

क.स.	नाम	हस्ताक्षर	पदनाम तथा पता
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			

1. नियम और विनियम
ये नियम ..... के नियम कहलाएंगे।
(संस्था का नाम)

इन नियमों में जब संदर्भ अथवा उसके अभिप्राय कुछ विरूद्व नही है, ...
(संस्था का नाम)

की वे सभी नियमावलियॉ सम्मिलित होगी अथवा अभिप्रेरित होंगी जिसे समय–समय पर विरचित अथवा साधारण सभा के किसी विशेष संकल्प द्वारा परिवर्तित किया जाएगा।

2. परिभाषा

क.	संस्था का अभिप्राय	:	.....
ख.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग का अभिप्राय	:	खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के अधीन स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग।

ग.	"राज्य मण्डल" का अभिप्राय	:	खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड/अधिनियम के अधीन स्थापित राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड।
घ.	"खादी का अभिप्राय	'	"भारत में हाथ द्वारा कते सूती, रेशमी तथा ऊनी धागे अथवा किसी दो अथवा उपर्यक्त सभी के मिश्रण से हथ करघों पर बुना कोई भी कपडा।"
च.	"ग्रामोद्योग" का अभिप्राय	:	"खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2 (एच) के अन्तर्गत यथा परिभाषित ग्रामोद्योग।"
छ.	पदाधिकारियों में सम्मिलित होगें	:	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष प्रेसीडेंट/वायस प्रेसीडेंट/मंत्री, कोषाध्यक्ष तथा संस्था की प्रबंध समिति के अन्य सदस्य।
ज.	"वर्ष का अभिप्राय	:	"1 अप्रेल से प्रारंभ तथा आगामी वर्ष 31 मार्च तक समाप्त वित्तिय वर्ष।"
झ.	"व्यक्ति"	:	"वैयिक्तिक प्रष्ठिान, सोसायटी, बैक, क्लब, संघ (एसोसियशन) निगम तथा निगमित निकाय से अभिप्रेत/एवं सम्मिलित होगा।

ट. पुलिंग तथा एक वचन शब्दों के साथ क्रमश स्त्रीलिंग तथा बहुवचन तथा उसके विपरीत कम शामिल होगे।

3. सदस्य

सदस्यता के लिए पूर्णतः योग्य तथा .....के लक्ष्यों तथा उददेश्यों
(संस्था का नाम)
का प्राप्ति में निष्ठाा रखने वाले तथा प्रयत्न करने वाले किसी भी महिला अथवा पुरूष को संस्था की सदस्यता दी जा सकती है।

संस्था के तीन प्रकार के सदस्य होगे :–

(1) संरक्षक सदस्य
(2) आजीवन सदस्य
(3) साधारण सदस्य

4. सदस्यता

(1) **सरंक्षक सदस्य** : रचनात्मक कार्य में समर्पित कोई भी व्यक्ति जो .....
सदस्यता के लिए पूर्णतः योग्य तथा ..... के लक्ष्यों तथा उददेश्यों
(संस्था का नाम)
के लक्ष्यों तथा उददेश्यों में विश्वास रखता हो तथा भविष्य में क्षेत्र में सेवा करने तथा ....
(संस्था का नाम)
को 2000/– रू. या अधिक अथवा 2000/– रूपये मूल्य या अधिककी सम्पत्ति दान में देने के इच्छुक हो वह ..... के सरंक्षक के रूप में दाखिल करने के योग्य है।
(संस्था का नाम)

2. आजीवन सदस्य : रचनात्मक कार्य में समर्पित कोई भी व्यक्ति जो .....
(संस्था का नाम)
के लक्ष्यों तथा उददेश्यों में विश्वास रखा हो तथा .....को 1000/– रू अथवा
(संस्था का नाम)
इससे अधिक नकद अथवा एक वर्ष भीतर 1000/– रू अथवा अधिक मूल्य की सम्पत्ति दान में दे तो उसे आजीवन सदस्य बनाया जा सकता है।

3. साधारण सदस्य : खादी और ग्रामोद्योगी क्षेत्र में कार्यरत ऐसे कारीगर अथवा व्यक्ति जिनका .....के लक्ष्यों तथा उददेश्यों में विश्वास है, उन्हे 5/– रू प्रवेश
(संस्था का नाम)
शुल्क तथा 20/– वार्षिक चंदा के भुगतान पर संस्था का सदस्य बनाया जा सकता है जो निम्नलिखित शर्त परी करता हो।

क. उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।

ख. जिसे कानून द्वारा किसी संविदात्मक अनुबन्ध पत्र के निष्पादन के लिए अयोग्य न करार दिया जाय।

ग. खादी धारी हो अथवा सदस्य होने पर खादी पहनने के लिए सहमत हो।

घ. ..... के लक्ष्यों तथा उददेश्यों की प्राप्ति हेतु काम
(संस्था का नाम)
करने के इच्छुक हो।

च. ..... का सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति इस
(संस्था का नाम)
प्रयोजन हेतु निर्धारित आवेदन फार्म पर हस्ताक्षर करेगें और 4 (1) (2) (3) में विनिर्दिष्ट अनुसार आवेदित सदस्य ता–श्रेणी हेतु निर्धारित रकम अदा करेगे और फार्म संत्या के मंत्री के पास प्रस्तुत करेगे। मंत्री उसे प्रबंध समिति के समक्ष रखेगा जिसका निर्णय सदस्यों के प्रवेश के मामले में अंतिम होगा।

5. सदस्यता की समाप्ति तथा हटाया जाना
कोई व्यक्ति निम्न स्थिति में ..... का सदस्य नही रहेगा
(संस्था का नाम)

क. उसकी मृत्यु के पश्चात

ख. उसके लिखित त्याग पत्र देने और ..... की प्रबंध समिति द्वारा
(संस्था का नाम)
स्वीकृत होने के पश्चात।

ग. उसकी मानसिकता विकलांगता अथवा संविदात्मक अनुबध के निष्पादन के लिए अयोग्य ठहराने पर।

घ. निर्धारित अवधि के भीतर चन्दा न देने पर।

च. ऐसे व्यक्ति जिसकी गतिविधियॉ संस्था के हित के लिए हानिकारक समझी जाय उसे विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए आयोजित आम सभा की बैठक में उपस्थित तथा बहु संख्यक सदस्यों क मत निर्णय से .....
.....की सदस्यता से हटाया जा सकता है। ऐसी बैठक
(संस्था का नाम)
का कोरम कुल सदस्यों का दो तिहाई अथवा 20 सदस्यों, जो भी कम हो, का होगा।

छ. जिन सदस्यों का नाम कलेण्डर वर्ष के 31 जनवरी को .....

की सदस्य सूची में दर्शाया गया है। वे आम सभा की बैठक में देने के पात्र होगे।
ज. सभी श्रेणी के सदस्यों के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जायेगा।

6. निधियॉ

..... अपनी निधि वसूल/एकत्र करेगी।
(संस्था का नाम)

क. सदस्यता शुल्क द्वारा
ख. प्रेवश शुल्क द्वारा
ग. सदस्यों तथा जनता द्वारा अनुदान, दान तथा योगदान द्वारा
घ. ..... की प्रबन्ध समिति द्वारा निर्धारित दर एवं अवधि
(संस्था का नाम)
हेतु ऋण प्राप्त करना

च. खादी और ग्रामोद्योगों के विकास हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग, केन्द्रीय सरकार,, राज्य सरकार तथा केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य निगमित निकायों, बैंकिग संस्थाओं और कोई भी दूसरे वित्तीय अधिकरणों/संस्थाओं से ऋण, अनुदान तथा उपादान, खादी और ग्रामोद्योग के विकास हेतु मान्य योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता मॉग कर ।

7. आम सभा

आम सभा का गठन उपर्युक्त तीनों प्रकार के सदस्य द्वारा होगा और .....
..... के कार्यो के संचालन, तथा उसे मार्गदर्शन देने के
(संस्था का नाम)
लिए वर्ष में कम से कम साधारण सभा की बैठक एक बार होगी।

8. आम सभा की गणपूर्ति :–

कलेण्डर वर्ष के 31 जनवरी को ..... रोल पर
(संस्था का नाम)
दर्ज कुल सदस्य संस्था के 2/5 वे भाग से आम सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति होगी।
अन्य कार्य के अलावा आम सभा के लिए निम्नलिखित कार्य है :–

क. प्रबंध समिति का चुनाव।
ख. मंत्री की नियुक्ति तथा उसका पारिश्रमिक नियत करना।
ग. .....के लेखा परिक्षण
(संस्था का नाम)
करने के लिए संबन्धित व्यक्ति की नियुक्ति।
घ. वर्ष में आय–व्यय लेखा तथा देनदारी और लाभ– हानि लेखा विवरण के साथ पूर्ववती वर्ष के दौरान .....
..... के कार्य की रिपोर्ट प्रबंध समिति से
(संस्था का नाम)
प्राप्त करना।

च. ..... के कार्यो के संबध में
(संस्था का नाम)
आयोग/राज्य मण्डल अथवा वित्तिय अभिकरणों से प्राप्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा अन्य सूचनाओं पर विचार करना।

15. प्रबंध समिति के निम्नलिखित कार्य होगे :–

संस्था के कार्य संचालन हेतु नियम तथा विनियम बनाना जो उददेश्य, निमय तथा विनियमों के असंगत न हो।

ख. ..... के नियमानुसार सदस्यता हेतु आवेदन
(संस्था का नाम)

पत्रों पर विचार तथा सिफारिश करना।

ग. .....के कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रोन्नत,
(संघ का नाम)

दण्ड, निलंबित अथवा बर्खास्त करना तथा उनकी सेवा के नियमों और विनियमो को बनाना।

जमानत, अथवा बिना जमानत के ऋण तथा डिपाजिट धनराशि प्राप्त करना तथा ऐसी शर्तो का निर्धारण करना जिन पर उन्हें स्वीकार किया जाय और उसके लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करना।

सदस्यों को ऋण तथा अग्रिम मंजूर करना।

कच्चे माल तथा उपकरणों व औजारों की खरीद अर्ध परिष्कृत माल की बिक्री और उनके भण्डारण की व्यस्था करना। सदस्यों को उपकरण व औजार भाडा खरीद आधार पर बेचना एवम उवकी आपूर्ति करना।

घ. ..... के उददेश्यों के अनुरूप खादी और उद्योगों उत्पादों के उत्पादन और प्रशोधन तथा ग्रामीण उद्योगों के अन्य उत्पादों एवं अन्य गतिविधियों को संघटित करना तथा संचालित करना।

औजारों तथा उपकरणों का उत्पादन तथा मरम्मत तथा वर्तमान सदस्यों तथा दूसरों का प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और उत्पादन पद्वति को सुधारना ।

लेखा का उचित रख रखाव तथा तुलना पत्र, विवरण आदि तैयार करना तथा संबध अधिकारियों को प्रगति रिपोर्ट तथा अन्य आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना।

यह देखना कि संस्था की सभी वस्तुओं के स्टाक की जॉच कम से कम हर वर्ष हों

संस्था की सम्पत्ति की बीमा करना।

ऐसे सारे अन्य कार्य करना जो संस्था के उददेश्यों की प्राप्ति हेतु उसके सुचारू कार्य संचालन में जरूरी है।

16. प्रबंध समिति अपने किसी भी अधिकार को, अध्यक्ष, सचिव या विशेष कार्य हेतु गठित किसी उप समिति को देने में सक्षम होगी।

17. ..... की आम सभा में नियमों तथा विनियमों
(संस्था का नाम)

एवं संकल्पों के अधीन पारित .....
(संस्था का नाम)

एशोसिएशान के ज्ञापन में यथा उपबन्धित कारोबार के संचालन करने का प्रबंध समिति को पूर्ण अधिकार रहेगा। (II) सामान्यता यह कारोबार के निपटाने के लिए एक माह कम से कम एक बैठक करेगी।

18. तात्कालिक प्रकृति के मामलों का निपटारा सम्बन्धित कागजात को प्रबंध समिति के सदस्यों के बीच परिचालित कर किया जायेगा बशर्ते ऐसे कार्य का अनुसमर्थन करने के लिए प्रबंध समिति के 3/4 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव से हो। तदानुसार सदस्यों में परिचालित कर पारित सभी संकल्प प्रबंध समिति के आगामी बैठक में अनुसमर्थित किया जायेगा।

19. यदि किसी चुने सदस्य की मृत्यु अथवा त्यागपत्र के कारण प्रबंध समिति में पद रिक्त होता है तो प्रबंध समिति के शेष सदस्य इसे सहयोजित करके भर सकते है और ऐसा सदस्य आगामी आम सभा की बैठक तक अपने पद पर बना रहेगा। इस प्रकार सहयोजित सदस्य उसी वर्ग/श्रेंणी का होगा जिस सदस्य स्थान पर उसे सहयोजित किया गया है औ उसे वोट देने का अधिकार होगा।

20. यदि किसी भी कारण से प्रबंध समिति में कोई पद रिक्त होता है तो शेष सदस्य का संचालन करने में समर्थ होगें बशर्ते बैठक का कोरम पूरा करने के लिए अपेक्षित सदस्य उपलब्ध हो।

21. यदि कभी प्रबंध समिति के सदस्यों की संख्या कोरम पूरा करने की न्यूनतम संख्या में कम से कम हो तो ऐसी रिक्तियॉ चुनाव द्वारा भरने के लिए एक माह के भीतर आम सभा की विशेष बैठक बुलाई जायेगी।

मंत्री का कार्य

22. मंत्री के कार्य निम्न होगे :–

    क. आम सभा प्रबंध समिति की बैठक बुलाना और सभा की समस्त कार्रवाई को कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज करना।

    ख. संस्था में सामान्य संबधी पत्र व्यवहार करना और इसकी समस्त लेखा बहियों तथा रजिस्टरों का अपेक्षित रूप में रखाव तथा रख–रखाव के लिए प्रेरित करना।

    ग. प्रबंध समिति के आदेशान्तर्गत संस्था की ओर से धन की प्राप्ति तथा संवितरण और प्रबंध समिति द्वारा सौपें गए सारे कार्य करना।

23. विविध

    आयोग को संस्था की वित्तीय नीति तथा अन्य मामलों के संबध में प्रबंध समिति तथा संस्था को निर्देश देने का अधिकार होगा और प्रबंध समिति तथा, जैसी भी स्थिति हो, आयोग के ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

24. संस्था के नियमो में संशोधन अथवा परिवर्तन, अथवा नये नियमों का निर्माण इस उददेश्य हेतु आयोजित आम सभा की बैठक में दो तिहाई सदस्यों का समर्थन के बिना नही होगा।

25. संस्था अपने अध्यक्ष/मंत्री के जरिये मुकदमा चलायेगी तथा अध्यक्ष/मंत्री के माध्यम से संस्था पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

26. आम सभा, प्रबंध समिति,व उपसमितियों की बैठकों की कार्यवाही संबधित कार्य के लिए रखी अलग पुस्तिकाओं में दर्ज की जायेगी और इसे प्रेसीडेंट/अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

27. संस्था का कोई भी सदस्य कभी भी संस्था द्वारा कमाये गए लाभ का दावा करने का पात्र नही होगा।

28. ऐसा व्यक्ति जो आदतन खादी नही पहनता तथा जो मिल सूत, मिल वस्त्र अथवा अप्रमाणित खादी का कारोबार करता है, उसे प्रबंध समिति के सदस्य अथवा समिति के कर्मचारी के रूप में नियुक्त नही किया जा सकता।

29. संस्था के खादी उत्पादन में किसी भी स्तर पर मिल सूत अथवा वस्त्र कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल नही करेगी।

30. खादी और ग्रामोद्योग आयोग की प्रमाणपत्र समिति के निर्देशानुसार अधिशेष मार्जिन मनी का उपयोग कामगारों के लाभार्थ किया जाएगा।

31. मानक मजदूरी भुगतान तथा मूल्य निर्धारणा के मामले में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रमाणपत्र समिति द्वारा निर्धारित नियम केन्द्रीय प्रमाणपत्र समिति, लखनऊ के अनुसमर्थन से प्रमाणीकरण नियमों के अनुसार संस्था द्वारा लागू किये जायेगे।

32. विघटन

यदि किसी कारण से ..... की
गतिविधियां (संस्था का नाम)
रूक गयी हो अथवा समाप्त की जानी हो तो, प्रबंध समिति इसे एक संकल्प द्वारा आम सभा को सिफारिश करेगी जो बदले में 30 दिन की लिखित नोटिस देने के पश्चात संस्था को विघटित करने हेतु निर्णय, विशेष रूप से आयोजित बैठक में तीन चौथाई सदस्यों की सहमति लेगी।

33 . ..... के विघटन पर इसके सभी
कर्जो (संस्था का नाम)
तथा देयताओं की संतुष्टि के पश्चात यदि कोई परिसम्पत्ति अथवा परिसंपत्तिया, चल अथवा अचल जो कुछ भी हो, बाकी बच जाती है, संस्था का नाम दान कर्ता/कर्ताओं के बीच सहमत किसी न्याय अथवा न्यायों से प्रभावित न हो उस संस्था के सदस्यों अथवा उनमें से किसी को भी भुगतान अथवा वितरित नही किया जाएगा। अपितु इसे समान उददेश्य वाली किसी दूसरी समान संस्था को विशेष रूप से आयोजित आम सभा की बैठक में उपस्थित कम से कम तीन चौथाई सदस्यों के मतों से अथवा इसके अभाव में जिले के मूल क्षैत्र के प्रधान न्यायालय द्वारा जिसमें संस्था का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, आधारित किया जाएगा।

खादी और पोलीवस्त्र के पंजीकरण के लिए आवेदन फार्म

सेवामें,

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रमाण पत्र समिति
2. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (उ.क्षे.), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, नई दिल्ली

भाग–1

(संस्था के मंत्री/अध्यक्ष के द्वारा भरा जावे)

1. संस्था का नाम व पता
   (मुख्यालय एवं कार्यक्षेत्र का पता) :

2. पंजीकरण से संबंधित :
   (पंजिकरण की सख्या, तिथि एवं धारा :
   जिसके द्वारा पंजिकृत)

3. संस्था के ज्ञापन की प्रमाणि प्रति/अधिनियम :

4. राज्य बोर्ड के द्वारा अ.प्र.प्र. : प्राप्त किया/प्राप्त नहीं किया/मान्य नहीं
   (लागु न होने पर काट दें)

5. संस्था के द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम : खादी/ग्रामोद्योग/खादी एवं ग्रामोद्योग

6. खादी/पोलीवस्त्र सर्टिफिकेट प्राप्त
   अथवा नहीं : हॉ/नहीं
   (हॉ होने पर सर्टिफिकेट संख्या एवं
   वैद्य नवीनीकृत कॉपी को संलग्न करें)

7. (अ) संस्था के द्वारा प्रस्तावित उत्पादन :
   केन्द्र का पता एवं कतिन बुनकरों का ब्यौरा

   (ब) अनुमानित वार्षिक उत्पादन (रू. लाखों में) :

8. (अ) संस्था के द्वारा प्रस्तावित खुला विक्रय केन्द्र खोलने का पता :

(ब) वार्षिक बिक्री का अनुमान (रू. लाखों में) :

9. खादी / पोलीवस्त्र कार्यक्रम चलाने के लिए स्थानीय आयरिती के द्वारा अ.प्र.प्र. । : हॉ / नहीं

10. खादी ग्रामोद्योग आयोग से प्रमाणिकता प्राप्त करने एवं खादी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए प्रबंधन कमेटी के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत "की तिथी" । : हॉ / नहीं

11. प्रबंधन कमेटी के सदस्य / ट्रस्टी के फोटो / मतदाता पहचान पत्र / राशन कार्ड के साथ बायोडाटा की सूची । : हॉ / नहीं

12. संस्था अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.वर्ग होने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र । : हॉ / नहीं

13. घोषणा पत्र की कोई भी स्टाफ सदस्य खा.ग्रा.आ. / राज्य खा.ग्रा.बो. में संस्था को बढावा नहीं दिया है (समिति के अन्य सदस्य से कोई रक्त संबंध नहीं है) परिपत्र संख्या प्रशा. / 11 / 412 / 92–93 दिनांक 23.12.1992 के अुनसार : हॉ / नहीं

14. प्रमाण पत्र शुल्क एवं पंजिकरण शुल्क रू. 1000.00 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खादी ग्रामोद्योग आयोग मुम्बई के पक्ष में ब्यौरा । : हॉ / नहीं

(अ) प्रमाण पत्र :

(ब) पंजिकरण / सीधे ईनलीस्टमेन्ट :

15 पूं...
संस्था ... लगाई पूंजी :
उधार ली ... पूंजी :
कुल ... :

16. बैंक ... की राशि रखने का बैंक :
के ... या प्रमाण पत्र
(न्यूनतम ...000.00 की राशि को बनाये
रखा)

17 ... सम्पत्ति का ब्यौरा :

... एवं कीमत) :

(ब) ... एवं कीमत) :

18 ... का ब्यौरा :

... संस्था का अनुमानित आय पर :
व्यय का ब्यौरा ।
(ब) कार्यरत संस्था का तुलन पत्र की प्रति :

19. कारीगरों को सी.सी.सी. और खा.ग्रा.आयोग : हॉ / नहीं
के निर्देशानुसार भुगतान करने की जिम्मेदारी
की स्वीकृति ।

20. संस्था के द्वारा AWF को AWF और पेन्शन : हॉ / नहीं
ट्रस्ट को नियमित भुगतान करने की जिम्मेदारी
की स्वीकृति ।

21. संस्था के द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में साथी : हॉ / नहीं
कामगारों का जनश्री बीमा योजना करने की
जिम्मेदारी की स्वीकृति ।

22. संस्था के द्वारा कच्चा माल खा.ग्रा.आयोग के नियमानुसार खरीदने की जिम्मेदारी की स्वीकृति । : हाँ / नहीं

मैं / सभी खादी / पोलीवस्त्र कार्यक्रम को आयोग एवं केन्द्रीय प्रमाण पत्र समिति के नियमानुसार क्रियान्वित करने की गंभीरता एंव दृढतापूर्वक करने की जिम्मेदारी लेता हूँ । मैं / सभी ऐसा कुछ भी नहीं करेगें जिससे खादी की छवि को नुकसान पहुँचे । इसके अतिरिक्त मैं / सभी वचन देते है कि प्रमाण–पत्र / पंजीकरण की कालावधि पूर्ण होने के बाद / रद्द होने की सूचना मिलने पर वापस कर देगें ।

मैं / सभी यह घोषणा करते है कि उक्त सभी तथ्य मेरे / सभी की जानकारी के अनुसार सत्य है

स्थान :

दिनांक :

संस्था के मंत्री के हस्ताक्षर
(मुहर के साथ)

कार्यालय उपयोग के लिए

भाग – 2

1. राज्य / विभागीय निदेशक का अनुमोदन

राज्य / विभागीय निदेशक को संस्था की ख्याति विशिष्ट साख एवं खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रमों में क्रियान्वयन करने की क्षमता होने की स्थिति पर अनुमोदन किया जाना है ।

(1) प्रमाणित करने के लिए अनुमोदन / प्रमाणित नहीं किया जाये ।

(2) पंजीकरण करने के लिए अनुमोदन / पंजीकरण नहीं किया जाये ।

राज्य / विभागीय निदेशक के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक (सी.सी.सी.) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई–56
2. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (उ.क्षे.) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, नई दिल्ली ।

प्रमाणीकरण

भाग – 3

प्रमाणिकता के लिए विधि पहलू

(निदेशक (सीसीसी) को निदेशक (विधि) से सलाह लेने के बाद स्वीकृत करना है)

(1) संस्था के अधिनियम आयोग के मॉडल अधिनियम को ध्यान में रखते हुये बनाये गये है । : हॉ / नहीं

(2) संस्था के अधिनियम में खादी / ग्रामोद्योग खादी ग्रामोद्योग के कार्य करने का प्रावधान है । : हॉ / नहीं

(3) संस्था के अधिनियम में खर्च / अनुदान का प्रावधान है । : हॉ / नहीं

(4) संस्था के अधिनियम में बैंक / अन्य वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने का प्रावधान है । : हॉ / नहीं

(5) संस्था के अधिनियम में चल / अचल सम्पति को बैंक / खा.ग्रा.आयोग के पक्ष में सम्यक बन्धक एवं हाईपोथिकेशन डीड करने का प्रावधान है। : हॉ / नहीं

(6) संस्था के अधिनियम में कामगारों को औजार एंव उपकरण उपलब्ध कराने के लिए खा.ग्रा.आयोग / बैंक के पक्ष में पुन: कर्ज लेने के लिए व्यवस्था है । : हॉ / नहीं

(7) संस्था के अधिनियम में खा.ग्रा. आयोग के मॉडल अधिनियम के अनुसार भंग करने का प्रावधान है । : हॉ / नहीं

(8) नई खादी प्रमाण पत्र को जारी किया जाता है । : हॉ / नहीं

निदेशक (सी.सी.सी.) निदेशक (वि.मा.) अध्यक्ष (सी.सी.सी.)

भाग — 4

पंजिकरण के लिए वित्तीय पहलू

(1) संस्था के लेखा ब्यौरे में स्वयं एवं संस्था के मंत्री के हस्ताक्षर : हॉ / नहीं

(2) संस्था के द्वारा खा.ग्रा. कार्यक्रम अथवा राज्य खा.ग्रा.बोर्ड से पोषित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करने पर चार्टेड अकाउन्टेन्ट / विधिविहिन अंकेक्षक से लेखा का हाल में अंकेक्षण ब्यौरा प्रमाणित है । : हॉ / नहीं

(3) संस्था के प्रतिनिधि के द्वारा किसी भी अभिकरणों से धन राशि नहीं ली गई है। हॉ, होने पर ब्यौरा प्रस्तुत करें । : हॉ / नहीं

पंजिकरण / सीधे ईन्सीटमेन्ट के लिए स्वीकृत किया जाता है ।

डीलिंग अधिकारी आंचलिक कार्यालय	सह. / निदेशक / लेखाधिकारी आंचलिक कार्यालय	आंचलिक उप.मु.का.का.अ.(उ.क्षे.) खादी ग्रामोद्योग आयोग, नई दिल्ली